बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना 800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Saidpur, Patna 800 004

पत्रांकः KGBV/60/2019-20/ 5630 दिनांक : 16 /08/2019

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
दरभंगा एवं जहानाबाद।

विषय :- **कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत कर्मियों के EPF कटौती राशि का Online अंतरण हेतु बचत बैंक खाता संधारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय पत्रांक KGBV/60/2019-20/2975 दिनांक 02.05.2019 के द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत कर्मियों के EPF कटौती के संबंध में निर्देश दिया गया था। जिस आलोक में जिला कार्यालय यथा दरभंगा एवं जहानाबाद के द्वारा मार्गदर्शन माँग की गयी कि **"EPF कटौती की राशि को EPFO खाते में Online जमा किया जाना है। जिसके लिए एक इन्टरनेट बैकिंग सेवा युक्त कार्यालय का बैंक खाते की आवश्यकता है।"** उक्त के संबंध में EPF कटौती राशि का Online EPFO के खाते में अंतरण हेतु निम्नानुसार बचत बैंक खाता संधारित किया जाना है :-

(I) बचत बैंक खाता BEP- "जिला का नाम"-EPF-Contribution के नाम होना है। जिसे सिर्फ EPF की कटौती राशि के भुगतान हेतु प्रयोग किया जायेगा।

(II) समग्र शिक्षा के लिए संधारित बचत बैंक खाता के बैंक शाखा में ही खाता खुलवाया जाय।

(III) समग्र शिक्षा के Manual on Financial Management and Procurement के पारा 4.19 के अनुसार कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर संयुक्त हस्ताक्षर युक्त बचत बैंक खाता Nationalised/Scheduled बैंक में खोले जाने का प्रावधान है।

(IV) EPFO को प्रत्येक माह के निर्धारित तिथि तक में Online भुगतान के लिए लेखा पदाधिकारी/लेखापाल को अधिकृत किया जाए। लेखा पदाधिकारी/लेखापाल प्रत्येक माह EPF की कटौती राशि का Online भुगतान जब-जब किया जाना हो इस हेतु ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान से संचिका में अनुमोदन प्राप्त कर Internet Banking माध्यम से EPFO को राशि हस्तांतरित करेंगे।

(V) KGBV के खाता से एक माह का EPF कटौती राशि को EPF-Contribution के बैंक खाता में अंतरित किया जाय। तत्पश्चात Online EPFO के खाते में हस्तांतरित किया जाय। इस प्रकार प्रत्येक माह में EPF-Contribution के खाते में

☎: 0612-2667152, 2667163, 2667168 Fax: 0612-2667190 Email:bsppac@gmail.com, Website:www.bepcssa.in

EPFO को हस्तांतरण के पश्चात ही अगले माह की EPF कटौती राशि को इस खाते में हस्तांतरित कर EPFO को जमा करें। इसी प्रक्रिया को हर माह अनुपालन करें।

(VI) प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि को EPF कटौती राशि को ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। ज्ञातव्य हो कि विलम्ब होने पर ब्याज एवं दण्ड का प्रावधान है, जो दोषी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा वहन की जायेगी।

(VII) EPF-Contribution खाता का अनुश्रवण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा किया जायेगा तथा वित्तीय अनियमितता होने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी लेखा पदाधिकारी/लेखापाल की होगी।

अतः उपर्युक्त बिन्दुओं का अनुपालन कर EPF कटौती राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

Sd/- 16/8/19

(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः KGBV/60/2019-20/ 5630 **दिनांक : 16 /08/2019**

प्रतिलिपि :– (i) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), सभी जिला (दरभंगा एवं जहानाबाद को छोड़कर) को उपरोक्त निदेश का अनुपालन करने हेतु आदशार्थ प्रेषित।

(ii) जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(iii) प्रशासी पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, KGBV राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 16/8/19

राज्य परियोजना निदेशक

☎: 0612-2667152, 2667163, 2667168 Fax: 0612-2667190 Email:bsppac@gmail.com, Website:www.bepcssa.in